

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1. विविध प्रार्थना पत्र संख्या 2/2016

श्री रामचन्द्र पुत्र श्री हेमा जाति बैरवा निवासी ग्राम बरौल तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति गुलाबी
2. प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

2. विविध प्रार्थना पत्र संख्या 3/2016

श्री रामचन्द्र पुत्र श्री हेमा जाति बैरवा निवासी ग्राम बरौल तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति गुलाबी
2. प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम
4 व 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी**

उपस्थित :-

1. श्री नरोत्तम शर्मा, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शुभकरण चौधरी, वकील मृतक अप्रार्थीया श्रीमति गुलाबी के पुत्र श्री रामस्वरूप की ओर से।

:- आदेश :-

दिनांक 08.12.2016

उपरोक्त दोनो ही प्रार्थना पत्रों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दु नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बउनवानी रामचंद्र बनाम श्रीमति गुलाबी व अन्य अन्तर्गत नियम 20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया गया, जो दिनांक 20.11.2015 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि श्रीमति गुलाबी की मृत्यु हो चुकी है अतः उनके वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर मृतका के स्थान पर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जावे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर मृतक अप्रार्थी के वारिसान के नाम नोटिस जारी किये गये। मृतका के वारिसान



अपर कलक्टर
अजमेर

की ओर से श्री रामस्वरूप पुत्र श्री रामचंद्र जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील अप्रार्थी ने मियाद के बिन्दु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाद मियाद पेश किया गया है। अतः मियाद बाहर होने से ही निरस्त योग्य है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए वकील प्रार्थी ने हमारा ध्यान मियाद प्रार्थना पत्र की ओर आकर्षित करते हुए जानकारी दिनांक से प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद मानकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया। न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थी 75 वर्ष का वृद्ध वरिष्ठ नागरिक है जिन्हें तारीख पेशी दिनांक 20.11.2015 को व्यक्तिगत उपस्थित होकर आगामी पेशी होने हेतु निर्देश दिये गये थे, किन्तु प्रार्थी वृद्ध होने एवं अपने गांव बरोल निवास करने से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका जिसे माफ किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। वकील प्रार्थी से अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी श्रीमति गुलाब देवी की दिनांक 24.09.2015 को बमुकाम बरल में मृत्यु हो चुकी थी जिनके विधिक प्रतिनिधि को रेकार्ड पर लेने हेतु 90 दिवस की अवधि में प्रार्थी को कार्यवाही किया जाना आवश्यक था लेकिन दिनांक 20.11.2015 को प्रकरण खारिज कर दिया गया जो उपशमन के आधार पर खारिज हुआ माना जावेगा। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में विधिक प्रतिनिधियों के अभाव में दिनांक 23.12.2015 को उपशमन के आधार पर खारिज किया जा सकता था। प्रकरण में उपशमन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि उक्त प्रकरण के वाद शीर्षक में अप्रार्थी श्रीमति गुलाब देवी के नाम के आगे मृतक शब्द लिखा जावे तथा उसके आगे वाद शीर्षक में 1/1 से 1/6 अप्रार्थी संख्या 1 में वर्णित विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि उक्त प्रकरण पूर्व में भी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2011 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया था, तत्पश्चात् उक्त प्रकरण पुनः दिनांक 20.11.2015 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है जिसको पुनः नम्बर पर लेने का आवेदन पत्र आज दिवस तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के अभाव में पोषणीय नहीं है क्योंकि मूल आवेदन पत्र ही सारहीन होकर खारिज हो रखा है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्राह्य ही नहीं है तथा इस पर कोई विधिवत आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अन्त में उन्होंने कथन किया कि भू आवंटन नियम 1970 के तहत एक बार प्रार्थना पत्र निरस्त होने के पश्चात् पुनः रेस्टोरेशन का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा



अपर क्लर्क
अजमेर

प्रस्तुत मूल प्रकरण दिनांक 20.11.2015 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में निरस्त हो चुका है। नियमानुसार किसी भी अपील अथवा प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते यदि पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब ही आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पोषणीय होता है तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकरण में कोई प्रकरण अस्तित्व में ही नहीं है जिसके आधार पर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा सके। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के विपरीत होने तथा पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है। प्रार्थी मृतका के विधिक जायन्दा वारिसान को रेकार्ड पर लेकर नये सिरे से सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश आज दिनांक 08.12.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



(~~किशोर कुमार~~)
अधिवक्ता, अजमेर